न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 110 सन् 2018

1– श्री बंशीलाल पुत्र स्व0 श्री हजारी जी जाति ब्राहम्ण
निवासी ग्राम बाडी तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर राज0

———प्रार्थी

बनाम

1– श्री लादू पुत्र स्व0 श्री भूरा जी
जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बाडी तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर राज0
2– श्री अम्बालाल पुत्र स्व0 श्री गोपाल जी जाति वैष्णव साधु
निवासी ग्राम बाडी तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर राज0
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर

———अप्रार्थीगण

4– श्री मिश्रीलाल पुत्र स्व. जेठू जी
5– श्री रामचन्द्र पुत्र स्व0 जेठू जी
6– श्री रामलाल पुत्र स्व0 जेठू जी
7– श्री गंगाराम पुत्र स्व0 गोरधन जी
8– श्री लादू पुत्र स्व0 भूरा जी
जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बाडी तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर राज0

———तरतीबी–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक 31.03.2021

संक्षिप्तः प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया मौजा ग्राम बाडी पटवार हल्का बाडी तहसील बिजयनगर में स्थित खसरा नंबर 874 रकबा 00–02–00 किस्म गै0मु0चाह उक्त भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थीगण तरतीबी खातेदार काश्तकार है, इसी कारण उनका नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में अंकित चला आ रहा है। उक्त भूमि के आस पास में अप्रार्थीगण के कब्जे व खातेदार की भूमियां स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य उपरोक्त आराजी की सीमा के बाबत आपस में विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 3 के यहां कई बार सीमाकंन बाबत आवेदन किया जिस पर हल्का पटवारी ने सीमाकंन भी करना चाहा व मौका पर्चा भी बनाया किन्तु सीमाकंन पूर्णरूप से नही किया जा सका। पत्थर गढी किये जाने बाबत लगने वाला शुल्क प्रार्थी अदा करने को तैयार व तत्पर है। उक्त कारणो से रेकार्ड ऑफ राईट जमाबंदी , भू राजस्व मानचित्र के अनुसार मौके पर पत्थर गढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि के सम्पूर्ण रकबे की भूमि का मौके पर राजस्व अभिलेख व मानचित्र के अनुरूप पत्थर गढी करवाये जाने एंव उसके अनुसार मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के माननीय न्यायालय में प्रस्तत किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2, 4 से 7 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 8 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यो को नकारते हुये कथन किया है, कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार नही है। क्योकि उक्त आराजी खातेदारी की नही है,

.....लगातार

(मोहनलाल खटवानिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

बल्कि गै0मु0चाह है जिसे खातेदारी होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। उक्त खसरा के आस पास में किसी भी खातेदार काश्तकार की भूमि नही है, बल्कि आस पडौस में आबादी भूमि है और उक्त गै0मु0चाह मौके पर मौजुद नही है, मौके पर पंचायत द्वारा आम रास्ता बनाया हुआ है, और सी सी रोड बना हुआ है। जिससे उक्त आराजी की कानूनन पत्थर गढी नही हो सकती है। पटवारी द्वारा सीमाकंन अप्रार्थीगण की मौजुदगी में नही किया गया है। और उक्त चाह आबादी भूमि में था जो मौके पर कोई चाही स्थित नही है, और चारो तरफ आबादी भूमि के मकानात बने हुये है, जिससे आबादी भूमि की पत्थर गढी करने का माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारीज किया जावे।

प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। तथा इसी न्यायालय द्वारा पारीत आदेश की प्रति दी गई। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने के का निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने खसरा नंबर 874 किस्म गै0मु0चाह की सीमाकंन व पत्थर गढी कराये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया गया। जिसमे समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार मौका पर्चा दिनांक 24.4.2018 हल्का पटवारी द्वारा बनाया गया है उसमें खसरा नंबर 874 को गै0मु0चाह होना अंकित किया गया है। केवलमात्र चैन चलाकर सीमाज्ञान के तथ्य अंकित किये गये है। जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में खसरा नंबर 874 व अन्य खसरान प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना अंकित है। राजस्व मानचित्र में भी खसरा नंबर 874 चाह जो कि रास्ते की भूमि में दर्ज होना अंकित है। अप्रार्थीगण ने छाया चित्र पेश किये गये। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में केवलमात्र खसरा नंबर 874 चाह के सीमाकंन बाबत कथन किये गये है, और पडौसी खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से सीमा का विवाद होने का कथन किया गया है, जबकि पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बताया गया है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 किस खसरा के खातेदार उसके विषय में राजस्व रेकार्ड प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है, और खसरा नंबर 874 के आस पास में कौन कौन से खसरान आते है, उसका भी उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया है, जबकि खसरा नंबर 874 जो प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत राजस्व मानचित्र में स्पष्ट रास्ते के बीच में होना दर्शित चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी द्वारा इसी न्यायालय द्वारा पारीत आदेश दिनांक 4.9.2019 की प्रति रूलींग के तहत पेश की गई है, उसमें भी अन्य खसरान सहित सीमाकंन का आदेश पारीत किये गये है, इसलिये उक्त आदेश वर्तमान में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर लागू नही होता है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारीज किया जाता है, खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा